

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेशः

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री गजराज सिंह चौहान, व्याख्याता, जीव विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, गोविन्दगढ़, अलवर से राउमावि, उँकाला, कुशलगढ़, बाँसवाड़ा किया गया। श्री गजराज सिंह चौहान ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3674/2019 श्री गजराज सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 06.12.2019 में अपीलार्थी को प्रत्यर्था विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष NCC Activities वाले अन्य विद्यालयों के रिक्त पद दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के निर्णय के क्रम में श्री गजराज सिंह चौहान द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वर्तमान स्थानान्तरित विद्यालय में NCC Activities नहीं होने के आधार पर NCC Activities वाले विद्यालय राउमावि, खेरली, कटूमर, अलवर परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। श्री गजराज सिंह चौहान, व्याख्याता जीव विज्ञान को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहमति के आधार पर इनका समायोजन राउमावि, खेरली, कटूमर, अलवर व्याख्याता, जीव विज्ञान के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाई सुनिश्चित करें।


(हिमांशु गुप्ता) 12/12
IAS


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगृ/अभ्यावेदन/गजराज सिंह चौहान/को.के/19-20

दिनांक:- 25/11/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, अलवर।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि, उँकाला, कुशलगढ़, बाँसवाड़ा/ राउमावि, खेरली, कटूमर, अलवर।
9. कार्मिक गजराज सिंह चौहान, व्या0 जीव विज्ञान राउमावि, उँकाला, कुशलगढ़, बाँसवाड़ा
10. गार्ड पंजिका।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर